



175

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12016 विविधा दिनांक- 9052-216

दिनांक 12-8-16 को
श्री रामेश्वर महाराज
कोष की सुझाव
बनाम
12.8.16
50

ms/shahangar
ms


- 1- बाबूलाल पुत्र भागरी एवं कुरी पत्नी बाबूलाल
शुभोत वारिसान &
 - अ- बृन्दाक पुत्र स्व.श्री बाबूलाल
 - ब- कमल सिंह पुत्र स्व.श्री बाबूलाल
 - स- पूनसिंह पुत्र स्व.श्री बाबूलाल
 - द- महेन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री बाबूलाल
- समस्त निवासीगण ग्राम करोला तहसील व जिला
मुरैना।
- इ- श्रीमती गीताबाई पत्नी श्री केशव सिंह पुत्री
स्व.श्री बाबूलाल निवासी भीमनगर भागरा
उ.प्र.हाल निवासी ग्राम करोला तहसील व जिला
मुरैना म.प्र.
- 2- मुन्नो जी टव पुत्रहहिकिस जाटव, निवासी
बलुआपुरा मोजा करोला, परगना मुरैनाम प्र.
 - 3- देवीराम पुत्र श्री सुधा
 - 4- होतम सिंह पुत्र श्री सुधा
 - 5- मालती पुत्री सुधा पत्नी पुन्दी,
निवासीगण - किशकाल कापुरा मोजामोडरी,
तहसील मुरैना
 - 6- मकलियापुत्री सुधा पत्नी सुधार सिंह जाटव
निवासी उत्तमपुरा मुरैनाम.प्र. भावदकण
बनाम
 - 1- राजवीर पुत्र श्री सुरेन्द्र जाति जाटव निवासी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक विविध 9052-एक/16 जिला मुरैना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26 -7-17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 152 सी0 पी0 सी0 एवं धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 2203-एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 5.8.16 टाइपिंग की त्रुटि से अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 155/अपील/2014-15 के स्थान पर 55/अपील/2014-15 अंकित हो गया है । आदेश की दूसरी लाईन एवं आदेश के पैरा न0 2 की 12 वी लाईन में पैरा न0 4 के अन्त में पैरा न0 5 की 13 वी लाईन में पैरा न0 6 की दूसरी लाईन में 55/अपील/2014-15 के स्थान पर प्रकरण क्रमांक 155/अपील/2014-15 पढ़ा जावे। पैरा न0 की चौथी लाईन में माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थान पर माननीय उच्च न्यायालय अंकित हो गया है। अतः उच्च न्यायालय के स्थान पर माननीय उच्चतम न्यायालय पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।</p> <p style="text-align: right;"> सर्वस्य</p>	